UPBS120001862023

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (ABHA RANI) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP04637**

Civil Suit/140/2023

Muniram Vs. Radheshyam

दिनांक–31.07.2026

01. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 6 ग 2 के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना 6 ग 2

02. वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग 2 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि वादी व प्रतिवादी सं० 1 आपस में सगे भाई है और प्रतिवादी सं० 2, 3, 4, 5 प्रतिवादी सं० 1 के लड़के है तथा मौजा खम्हरिया तप्पा–रूधौली, परगना– मगहर पश्चिम, तहसील व जिला –बस्ती में जमाना मूरिसान से आबाद है जहां पर वादी व प्रतिवादीगण का मकान खेत बारी आदि आबाद है तथा मुस्तर्का रूप से मालिक काबिज है। पिता वादी व प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल की तबियत अक्सर खराब रहा करती थी। उनकी उम्र लगभग 80 साल की हो गयी थी। उनको सोने–समझने का ज्ञान नहीं था। प्रतिवादी सं० 1 दवा कराने के बहाने रूधौली ले गये और सूची दवा के बहाने वह रजिस्ट्री कार्यालय रूधौली पर ले जाकर बृजलाल के समस्त आराजियात सूची अ वो ब एवं मकान हस्ब चौहद्दी जैल वादपत्र का वसीयतनामा अपने पुत्रों प्रतिवादीगण सं० 2 ता 5 के हक में करा लिया। जिसकी जानकारी होने पर वादी ने उक्त वसीयतनामा को मंसूख कराने के लिए निवेदन किया जिस पर वह आज कल करके टालमटोल कर रहे है। उक्त वसीयतनामा के कायम रहने से वादी के हक पर आवरण आने का अंदेशा है जिसके बावत यह दावा बावत मंसूखी/इम्तनाई दाखिल किया जा रहा है। दौरान मुकदमा वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वाद काल तक के लिए तफसील सूची अ में वर्णित आराजी सं० 50/0.0650, 51/0.1530, 63/0.0320 व 123 मि०/0.6010 मौजा खम्हरिया व सूची ब आराजी सं० 162 ख/0.1130 हे० व मकान सूची अ स्थित मौजा खम्हरिया, तप्पा–रूधौली, परगना–मगहर पश्चिम, तहसील–रूधौली, जिला–बस्ती के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करने न वादी के ½ भाग व मुस्तर्का हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की याचना की गई है।

03. प्रतिवादीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6 ग 2 पर आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सौतेले भाई हैं। दोनों लोगों का मकान मौजा खम्हरिया में अलग–अलग बना हुआ है, एक दूसरे के मकान से वादी एवं प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 के सगे बाबा बृजलाल थे जिनकी दो शादी हुई थी प्रथम शादी साकिन मूड़ाडीहा में बृजलाल की बेटी के साथ हुई थी। बृजलाल की एक ही बेटी थी और कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार बृजलाल की पहली पत्नी से जन्मे पुत्र वादी मुनिराम है जो अपने ननिहाल मौजा मूड़ाडीहा में रहते थे इस

प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के बाबा का निवास मौजा मूड़ाडीहा में रहा और वादी ज्यादातर अपने ननिहाल में ही रहता रहा। वादी मुनिराम का जन्म उनके ननिहाल मौजा मूड़ाडीहा में ही हुआ था, चूँकि इनके नाना के पास और कोई संतान नहीं थी और वादी के नाना की तमाम दुश्मनी गांव जवार में थी जिस कारण हमेशा डर बना रहता था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 के बाबा स्वर्गीय बृजलाल ने अपने ससुर से निवेदन आग्रह पर मौजा मूड़ाडीहा की समस्त जमीन जायदाद बेचकर वादी के नाम करीब तीन–चार बीघा खेत मौजा खम्हरिया में खरीदवा दिये, इस प्रकार वादी अपने नाना–नानी के साथ मौजा खम्हरिया में अरसा पूर्व से निवास करने लगा। वादी के नाना–नानी जब मौजा खम्हरिया आये तो प्रतिवादी संख्या 2 के बाबा ने मकान बनवाने हेतु जमीन दिया था। उसी जमीन में पूरे परिवार के सहयोग से पीला मकान बना जिसमें वादी अपने नाना नानी के साथ रहते थे। बाद में वादी मुनिराम के नाना नानी की मृत्यु हो गई और वह तनहा अपने परिवार के साथ अपना जीवन मौजा खम्हरिया में व्यतीत करने लगे। प्रतिवादी संख्या 2 के बाबा स्व० श्री बृजलाल की समस्त चल अचल संपत्ति प्रतिवादीगण को अपने जीवन काल में ही काबिज दखील करा दिया था। चूँकि बाबा प्रतिवादी संख्या दो ने अपनी दूसरी शादी मौजा कोडली में कर लिये थे जिनसे एकमात्र संतान प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम पैदा हुए जो प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व० बृजलाल ने अपने जीवन काल में ही अपनी समस्त आराजियात मय मकान सहन इत्यादि का एक किता रजिस्टर दस्तावेज बैनामा दिनांक 26.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी कुसुम के पक्ष में कर दिया था। जो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की सगी माता है। अब उनकी मृत्यु हो गई है। बैनामे के आधार पर भी प्रतिवादीगण बृजलाल की संपत्ति के स्वामी मालिक बकब्जा हैं। मौजा खम्हरिया वो मौजा सेहुड़ा की किसी भी आराजियात पर वादी का न तो कब्जा है न कास्त करते हैं। वादी का यह कथन कि "समस्त आराजी मुश्तर्का है उभय पक्ष खेती बारी करते चले आ रहे हैं"। वादी का प्रतिवादी संख्या 2 के बाबा के किसी भी संपत्ति पर उनके जीवन काल में अथवा बाद में भी कोई कब्जा नहीं था, समस्त कथन वादी विपरीत इसके सही नहीं है। चूँकि वादी अपना मकान बनाकर गांव के बाहर निवास करता है और प्रतिवादी संख्या 1 के पिता से कोई वास्ता सरोकार नहीं रखते थे तथा पिता वादी ने जब दूसरी शादी किये तब वादी ने उनसे अपना सम्बन्ध समाप्त कर लिया था। इस प्रकार वादी द्वारा उनकी सेवा परवरिश उनकी खेती बारी की देखभाल के बाबत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने बाबा की सेवा परिवरिश अपनी पत्नी व अपने परिवार सहित किया है। उनका इलाज दवा वगैरह का प्रबंध भी प्रतिवादीगण ही करते थे। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने अपने जीवन काल अपने चारों नातियों सोनू, राकेश, दीपांशु व श्रीचन्द्र के सेवा सुश्रूषा से प्रसन्न होकर स्वस्थ चित्त व चेतन अवस्था में दिनांक 13.07.2022 को एक किता पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया। बादी का यह कथन कि "सूई दवाई कराने के बहाने रुधौली ले जाकर वसीयत लिखवा लिये" पूर्णतया गलत है। पिता वादी की मृत्यु की जानकारी होने पर भी वादी प्रतिवादीगण के घर नहीं आये, प्रतिवादी संख्या 1 का पूरा परिवार मिलकर क्रिया–कर्म किया तथा दाह संस्कार प्रतिवादी संख्या 1 में स्वयं किया था। दस्तावेज बैनामा व वसीयतनामा के आधार पर वाद–पत्र के अंत में वर्णित संपत्ति सूची की आराजियात पर प्रतिवादीगण का तनहा कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा लिखा गया पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा वहक प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 निष्पक्ष व निर्विवाद है किसी प्रकार का कोई जाल फरेब नहीं किया गया है। वसीयतनामा लिखते समय पिता प्रतिवादी संख्या 1 बिल्कुल स्वस्थ थे। प्रस्तुत वाद में वर्णित विवादित संपत्ति पर वादी का कब्जा किसी आईने से नहीं है। पिता वादी ने अपने पहले शादी में मिली नेवासे की संपत्ति से

निर्मित सभी जायदाद का मालिक वादी को बनाया, कि गांव की संपत्ति तनहा प्रतिवादी संख्या 1 की रहेगी जिस पर वादी द्वारा सहमति व्यक्त किया गया था, अब वादी द्वारा फर्जी मनगढंत अभिकथनों के आधार पर प्रस्तुत वाद न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।

04. वादी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची सबूत 10ग1 के माध्यम से नकल खतौनी कागज सं० 11ग1/1 ता 4, नकल दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 13.07.2022 कागज सं० 12ग1/1 ता 6, आधार कार्ड कागज सं० 13ग1; सूची सबूत 41ग1 के माध्यम से नकल दस्तावेज बैनामा दिनांक 26.10.2017 कागज सं० 42ग1/1 ता 12, सूची सबूत 43ग1 के माध्यम से नकल दस्तावेज बैनामा दिनांक 23.07.2019 कागज सं० 44ग1/1 ता 12, सूची सबूत 45ग1 के माध्यम से सत्यप्रतिलिपि दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 13.07.2022 कागज सं० 46ग1/1 ता 6 आदि प्रपत्र दाखिल किए गए हैं।

05. प्रतिवादीगण की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची सबूत 39ग1 के माध्यम से नकल दस्तावेज बैनामा दिनांक 26.10.2017 कागज सं० 40ग1/1 ता 12 आदि प्रपत्र दाखिल किए गए हैं।

06. आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है–

01–क्या वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ प्रतीत हो रहा है?

02–क्या वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है?

03– यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया है, तो उसे अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है

07. **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Yogesh Agrawal v. Shri Rajendra Goyel and Another, 2014 (3) ARC 427 की विधि– व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–**

"The first rule is that the applicant must make out a prima facie case in support of the right claimed by him and the court must be satisfied that there is a bonafide dispute raised by the applicant, and there is a strong case for trial which needs investigation and a decision on merits and on the facts before the court there is a probability of the applicant being entitled to the relief claimed by him. The existence of a prima facie right and infraction of such right is a condition precedent for grant of temporary injunction The courts should not examine the merits of the case closely at that stage or try to restore a conflict of evidence nor decide complicated questions of fact and law which call for detailed arguments and mature considerations. They are matters to be dealt with at trial. The grant or refusal of temporary injunction is not a mini trial. In deciding a prima facie case, the court is to be guided by the plaintiff' s case as revealed in the plaint, affidavits or other materials produced by him."

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ पत्र व अन्य प्रपत्र उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या वाद सिद्ध होना साबित करना होगा।

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>

08. वादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र 6 ग में यह कथन किया गया है कि वादी का कथन यह है कि वादी व प्रतिवादी सं० 1 आपस में सगे भाई है और प्रतवादी सं० 2, 3, 4, 5 प्रतिवादी सं० 1 के लड़के है तथा मौजा खम्हरिया तप्पा–रूधौली, परगना– मगहर पश्चिम, तहसील व जिला –बस्ती में जमाना मूरिसान से आबाद है जहां पर वादी व प्रतिवादीगण का मकान खेत बारी आदि आबाद है तथा मुस्तर्का रूप से मालिक काबिज है। तफसील सूची अ व ब का किसी प्रकार का कोई बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनों को अस्वीकार करते हुए अपनी आपत्ति में यह अभिकथित किया है कि **वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सौतेले भाई हैं। दोनों लोगों का मकान मौजा खम्हरिया में अलग–अलग बना हुआ है, एक दूसरे के मकान से वादी एवं प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है।** पिता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल की दो शादी हुई थी। बृजलाल की एक ही बेटी थी। **बृजलाल की पहली पत्नी से जन्मे पुत्र वादी मुनिराम है, जिनका जन्म उनके ननिहाल मौजा मूड़ाडीहा में हुआ था और वो वहीं रहते थे।** बृजलाल का निवास मौजा मूड़ाडीहा में रहा और वादी ज्यादातर अपने ननिहाल में ही रहता रहा। चूँकि इनके नाना के पास और कोई संतान नहीं थी और वादी के नाना की तमाम दुश्मनी गांव जवार में थी जिस कारण हमेशा डर बना रहता था। **बृजलाल ने अपने ससुर से निवेदन आग्रह पर मौजा मूड़ाडीहा की समस्त जमीन जायदाद बेचकर वादी के नाम करीब तीन–चार बीघा खेत मौजा खम्हरिया में खरीदवा दिये, इस प्रकार वादी अपने नाना–नानी के साथ मौजा खम्हरिया में अरसा पूर्व से निवास करने लगा।** वादी के नाना–नानी जब मौजा खम्हरिया आये तो प्रतिवादी संख्या 2 के बाबा ने मकान बनवाने हेतु जमीन दिया था। उसी जमीन में पूरे परिवार के सहयोग से पीला मकान बना जिसमें वादी अपने नाना नानी के साथ रहते थे।

09. वादी का **यह भी कथन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में सगे भाई हैं तथा उनके मध्य विवादित संपत्ति का अब तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तथापि उक्त कथन को सत्य मान लेने पर भी वादी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते।** इस संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं **बाबूराम बनाम मुन्नी 2008 (26) LDC 1220 (ALL), जहर सिंह बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू 2005 (3) AWC 877 (ALL) एवं अजय पाल सिंह बनाम शितल बक्श सिंह 2005 (2) JAWC 2001 (AIL)** का उल्लेख महत्वपूर्ण हो जाता है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है किः–**

> *"possession of one co-owner is always possession of all co-owners. If the disputed land is in joint possession of both parties or all co-owners, no injunction can be granted against interference into possession of one co-owner by another co-owner"*

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित विधि व्यवस्था Second Appeal No 578/2023, Kamlesh Kumar vs. Sonelal and others, Decided on 10. 01. 2024, Neutral Citation 2024:AHC:5241 में प्रतिपादित किया गया है कि–

> *"It is a settled principle of law that injunction against a co-sharer may not be granted, particularly, one restraining dispossession, because a*

co-sharer is not in possession of any particular portion. He is in possession of the entire property to the extent of his undivided share."

विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक सह–स्वामियों के मध्य संपत्ति का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक सह–स्वामी का संपूर्ण संयुक्त संपत्ति के प्रत्येक अंश पर समान अधिकार माना जाता है। ऐसी स्थिति में, एक सह–स्वामी के विरुद्ध दूसरे सह–स्वामी को केवल सह–स्वामित्व के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। अतः इस आधार पर भी वादी अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

10. इसके अतिरिक्त वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि पिता वादी व प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल की तबियत अक्सर खराब रहा करती थी। उनकी उम्र लगभग 80 साल की हो गयी थी। उनको सोने–समझने का ज्ञान नहीं था। प्रतिवादी सं० 1 दवा कराने के बहाने रूधौली ले गये और सूची दवा के बहाने वह रजिस्ट्री कार्यालय रूधौली पर ले जाकर बृजलाल के समस्त आराजियात सूची अ वो ब एवं मकान हस्ब चौहद्दी जैल वादपत्र का वसीयतनामा अपने पुत्रों प्रतिवादीगण सं० 2 ता 5 के हक में करा लिया, जिसकी जानकारी होने पर वादी ने उक्त वसीयतनामा को मंसूख कराने के लिए निवेदन किया जिस पर वह आज कल करके टालमटोल कर रहे है। उक्त वसीयतनामा के कायम रहने से वादी के हक पर आवरण आने का अंदेशा है। अतः वादी द्वारा दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण को वाद काल तक के लिए तफसील सूची अ में वर्णित आराजी सं० 50/0.0650, 51/0.1530, 63/0.0320 व 123 मि०/0.6010 मौजा खम्हरिया व सूची ब आराजी सं० 162 ख/0.1130 हे० व मकान सूची अ स्थित मौजा खम्हरिया, तप्पा–रूधौली, परगना–मगहर पश्चिम, तहसील–रूधौली, जिला–बस्ती के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करें न वादी के ½ भाग व मुस्तर्का हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की याचना की गई है।

11. प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि **प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व० बृजलाल** ने अपने जीवन काल में ही अपनी समस्त आराजियात मय मकान सहन इत्यादि का **एक किता रजिस्टर दस्तावेज बैनामा दिनांक 26.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी कुसुम के पक्ष में कर दिया था। जो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की सगी माता है।** अब उनकी मृत्यु हो गई है। बैनामे के आधार पर भी प्रतिवादीगण बृजलाल की संपत्ति के स्वामी मालिक बकब्जा हैं। मौजा खम्हरिया वो मौजा सेहुड़ा की किसी भी आराजियात पर वादी का न तो कब्जा है न कास्त करते हैं। **प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने बाबा की सेवा परिवरिश अपनी पत्नी व अपने परिवार सहित किया है। उनका इलाज दवा वगैरह का प्रबंध भी प्रतिवादीगण ही करते थे। पिता वादी व प्रतिवादी बृजलाल ने अपने जीवन काल अपने चारों नातियों सोनू, राकेश, दीपांशु व श्रीचन्द्र के सेवा सुश्रूषा से प्रसन्न होकर स्वस्थ चित्त व चेतन अवस्था में दिनांक 13.07.2022 को एक किता पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया।** प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा लिखा गया पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा वहक प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 निष्पक्ष व निर्विवाद है किसी प्रकार का कोई जाल फरेब नहीं किया गया है। वसीयतनामा लिखते समय पिता प्रतिवादी संख्या 1 बिल्कुल स्वस्थ थे। वादी ने अपने पहले शादी में मिली नेवासे की संपत्ति से निर्मित सभी जायदाद का मालिक वादी को बनाया,

कि गांव की संपत्ति तनहा प्रतिवादी संख्या 1 की रहेगी जिस पर वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

12. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में **कागज सं० 11ग1/1 ता 2 उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1425–1430 से संबंधित बावत आराजी संख्या 162ख रकबा 0.1130 हे०, कागज सं० 11ग1/3 ता 4 उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1428–1433 से संबंधित आराजी संख्या 50, 51, 63 व 123 मि. क्रमशः क्षे० 0.0650, 0.1530, 0.0320, 0.5010 हे०** प्रस्तुत की गई। उक्त खतौनी **कागज सं० 11ग1/1 ता 2** में विवादित अराजियात के संक्रमणीय भूमिधर के रूप में वादी के पिता बृजलाल का नाम दर्ज है। उक्त खतौनी **कागज सं० 11ग1/3 ता 4** में विवादित अराजियात के संक्रमणीय भूमिधर के रूप में वादी के पिता बृजलाल व प्रतिवादी सं० 1 राधेश्याम का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त खतौनी में कहीं भी वादी का नाम दर्ज नहीं है। वादी द्वारा उक्त अराजियात के पैतृक संपत्ति होने का कथन किया गया है और दस्तावेज वसीयतनामा दिनांकित 16.01.2012 को फर्जी व जाली कहा गया है। इसी आधार पर प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की प्रार्थना की गई है कि वो वादी को दौरान मुकदमा विवादित आराजियात व मकान से बेदखल न करें।

13. दाखिल की गई खतौनी से यह विदित है कि विवादित सम्पत्ति में वर्णित भूमि कृषि योग्य भूमि है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कृषि योग्य भूमियों के संबंध में स्वीय विधि (personal law) लागू नहीं होते हैं। चूंकि वादी द्वारा जिन संपत्तियों के संबंध में अस्थायी निषेद्याज्ञा मांगी गई है उन समस्त संपत्तियों से संबंधित खतौनियों में वादी के पिता का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 40 का उल्लेख महत्वपूर्ण हो जाता है। **धारा 40 के अनुसार–**

> *"40. Presumption as to entries. All entries in the record of rights (Khatauni) prepared in accordance with the provisions of this Code shall be presumed to be true, until the contrary is proved."*

उपरोक्त प्रावधान यह अवधारित करता है की राजस्व प्रपत्रों जैसे की खतौनी इत्यादि के सम्बन्ध में प्रविष्टियों के सत्य होनी की उपधारणा की जायेगी। चूंकि वादी के पिता का नाम का नाम राजस्व अभिलेखों में अभी भी दर्ज है इसके विपरीत वादी का नाम राजस्व प्रपत्रों में दर्ज नहीं है। विवादित आराजियात से संबंधित राजस्व प्रपत्रों में वादी के पिता का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हैं तथा वह उक्त अराजियात का भूमिधर थे। **इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 152 का उल्लेख महत्वपूर्ण हो जाता है।**

152. Bhumidhari interest when transferable-
(1) The interest of a bhumidhar with transferable rights shall subject to the conditions hereinafter contained, be transferable.

चूंकि वादी के पिता को विवादित अराजियात में भूमिधरी अधिकार प्राप्त था। अतः उपरोक्त वर्णित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें विवादित अराजियात को अंतरित करने का अधिकार प्राप्त है।

14. वादी द्वारा सूची सबूत 45ग1 के माध्यम से सत्यप्रतिलिपि दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 13.07.2022 कागज सं० 46ग1/1 ता 6 दाखिल की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पंजीकृत अभिलेखों की सत्यता/वास्तविकता

(genuineness) के संदर्भ में न्यायालय द्वारा उपधारणा की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Prem Singh & Ors vs Birbal & Ors, (2006) 5 SCC 353 में अवधारित किया गया है कि–**

> *"There is a presumption that a registered document is validly executed. A registered document, therefore, prima facie would be valid in law. The onus of proof, thus, would be on a person who leads evidence to rebut the presumption....."*

उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय द्वारा पंजीकृत अभिलेखों के विधि अनुरुप होने की उपधारणा की जाएगी। वसीयतनामे के प्रथम पृष्ठ पर वसीयतकर्ता बृजलाल (वादी का पिता) का फोटो और सभी पृष्ठ पर अंगुष्ठ निशान प्रदर्शित है। वसीयतनामे के चौथे पृष्ठ पर वसीयतकर्ता द्वारा अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति को सोनू (प्रतिवादी सं० 2), राकेश (प्रतिवादी सं० 3), दीपांशू (प्रतिवादी सं० 4) तथा श्रीचंद (प्रतिवादी सं० 5) के पक्ष में तहरीर करने का तथ्य अंकित है। वसीयतनामे के द्वितीय और तृतीय पृष्ठ पर यह अंकित है कि–**"मन मुकिर खूब अच्छी तरह सोच–समझकर, बखुशी रजामंदी बगैर किसी दीगर जब्र वो दबाव के संपत्ति अक्ल स्वस्थ मन से अपने सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा बहक वो बदस्त सोनू, राकेश, दीपांशू व श्रीचंद पुत्रगण राधेश्याम साकिनान–खम्हरिया, तप्पा–रूधौली, परगना–मगहर पश्चिम, तहसील–रूधौली, जिला–बस्ती को कर देता हूँ।"**

15. इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी के पिता द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति एक पंजीकृत वसीयत के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में वादी उक्त संपत्तियों के संबंध में सिर्फ इस आधार पर अस्थायी निषेद्याज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है कि उक्त संपत्ति पर वादी और प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा है तथा वसीयतनामा दिनांकित 13.07.2022 जाली व फर्जी है। जहां तक उक्त वसीयतनामे के जाली कूटरचित एवं कपटपूर्वक तैयार किया गया है, जिसके आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है, इस संबंध में इस स्तर पर कोई अंतिम निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना संभव नहीं है। वसीयतनामे की प्रामाणिकता, वैधता अथवा उसके जाली, कूटरचित अथवा कपटपूर्ण होने का प्रश्न साक्ष्यों के परीक्षण एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन के उपरांत विचारण के अंतिम चरण में ही निर्धारित किया जा सकेगा। अतः इस अंतरिम अवस्था में उक्त वसीयतनामे को जाली, कूटरचित अथवा कपटपूर्ण मानते हुए कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

16. वादी के पिता को विवादित अराजियात में भूमिधरी अधिकार प्राप्त था। अतः उन्हें विवादित अराजियात को अंतरित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वादी के पिता द्वारा उनकी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण एक पंजीकृत वसीयत के माध्यम से प्रतिवादी सं० 2 ता 5 के पक्ष में कर दी गई है। चूंकि वादी का नाम राजस्व प्रपत्रों में नहीं है और विवादित सम्पत्ति का अंतरण प्रतिवादीगण के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयतनामा के द्वारा किया गया है। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपना प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है।

सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति

17. जहां तक सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है तो **इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Kashi Math Samsthan v. Shrimad Sudhindra Thirtha Swamy, AIR 2010 SC 296, में यह अवधारित किया गया है की–**

> *"It is well settled that in order to obtain an order of injunction, the party who seeks for grant of such injunction has to prove that he has made out a prima facie case to go for trial, the balance of convenience is also in his favor and he will suffer irreparable loss and injury if injunction is not granted. But it is equally well settled that when a party fails to prove prima facie case to go for trial, question of considering the balance of convenience or irreparable loss and injury to the party concerned would not be material at all, that is to say, if that party fails to prove prima facie case to go for trial, it is not "open to the Court to grant injunction in his favour even if he has made out a case of balance of convenience being in his favor and would suffer irreparable loss and injury if no injunction order is granted. "*

उक्त विधि व्यवस्था में व्यक्त मत के अनुसार यदि वादी अपने पक्ष में प्रथम दृष्ट्या वाद सावित करने में असमर्थ रहता है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं के उसके पक्ष में होने के पश्चात् भी वह अस्थायी निषेद्याज्ञा के अनुतोष का अधिकारी नहीं होगा। यदि उक्त दोनों तथ्य साबित भी हो जाते तब भी उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में वादी प्रथम दृष्ट्या मामला न साबित कर पाने के कारण अस्थायी निषेद्याज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है।

18. अतः उपरोक्त विवेचना से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादी के द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त अपने पक्ष में साबित नहीं किया गया है। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग2 अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग2 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते वाद–बिन्दु विरचन हेतु दिनांक 02.09.2026 को पेश हो।

दिनांक–31.07.2026

(आभा रानी)
सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद,स्थान–बस्ती